

प्रेषक,

आर० के० सिंह,  
विशेष सचिव  
उ० प्र० शासन

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश

2. आयुक्त,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद  
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 06 मई, 2013


विषय:- हाईटेक/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकासकर्ताओं द्वारा नीति के अन्तर्गत ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों/भूखण्डों का निर्माण/विकास किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-157(1)/8-3-12-13विविध/08टी.सी.-I, दिनांक-23.01.13 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आप अवगत हैं कि उ०प्र० में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से हाईटेक एवं इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विकास प्राधिकरणों/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न विकासकर्ताओं/कम्पनियों को टाउनशिप के समयबद्ध विकास हेतु चयनित/लाईसेन्स प्रदान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में हाईटेक टाउनशिप नीति, 2003 सम्बन्धी शासनादेश संख्या-5666, दिनांक-25.11.2005 तथा हाईटेक टाउनशिप नीति, 2007 सम्बन्धी शासनादेश संख्या-3872, दिनांक-17.09.2007 एवं इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2711, दिनांक-21.05.05 द्वारा विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम द्वारा योजनान्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के 10 प्रतिशत एवं अल्प आय वर्ग के 10 प्रतिशत भूखण्ड/भवन विकसित कर निर्मित किये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अतिरिक्त हाईटेक/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के क्रियान्वयन में अपेक्षित सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के उद्देश्य से निर्गत शासनादेश दिनांक-10.05.2011 में यह प्राविधानित है कि संबंधित प्राधिकरण/परिषद परियोजनाओं के लिए तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय यह सुनिश्चित कराये कि प्रत्येक ले-आउट में दुर्बल/अल्प आय वर्ग हेतु भवनों/भूखण्डों एवं सामुदायिक सुविधाओं का विकास भी परियोजनाओं के अन्य विकास कार्यो की भौतिक प्रगति के अनुपात में हो। परियोजना के ले-आउट प्लान में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि दुर्बल/अल्प आय वर्ग के भवनों/भूखण्डों तथा सामुदायिक सुविधाओं के स्थल ले-आउट प्लान में अवश्य ही ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित किये जाये जिनका स्वामित्व निर्विवाद रूप से उपलब्ध हो। सार्वजनिक, निजी सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनओं में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के



व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या-3338/8-1-11-80विविध/2010, दिनांक-26.09.2011 द्वारा नीति प्रख्यापित की गयी है।

4- प्रकरण में हाईटेक/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु चयनित विकासकर्ता/कम्पनियों द्वारा प्रदेश में विकसित की जा रही हाईटेक/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप में विकासकर्ताओं द्वारा अब तक विकसित किये जा चुके/किये जा रहे ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 के भवनों/भूखण्डों की संबंधित शासकीय अभिकरणों से प्राप्त सूचना से स्पष्ट है कि चयनित/लाईसेन्स प्राप्त विकासकर्ताओं द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्डों का निर्माण एवं विकास, नीति के प्राविधानों/लक्ष्यों के सापेक्ष नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। इस सम्बन्ध में हाईटेक/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप्स की प्रगति आख्या का अवलोकन दिनांक-05.09.2012 को सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति द्वारा किया गया, जिसमें प्रगति संतोषजनक न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

5- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित मानक/लक्ष्यों के सापेक्ष ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भूखण्डों अथवा भवनों का विकास विकासकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित शासकीय अभिकरण का होगा। जिस विकासकर्ता द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भूखण्डों अथवा भवनों के विकास में अपेक्षित कार्यवाही/प्रगति सुनिश्चित नहीं की जाती है, ऐसे डिफाल्टर विकासकर्ताओं के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन/आवास बन्धु को उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,  
23.9.13  
(आर0 के0 सिंह)  
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र की प्रति समस्त संबंधित अभिकरणों को अपने स्तर से फैक्स/ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराते हुए संबंधित अभिकरणों से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने एवं प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
(आर0 के0 सिंह)  
विशेष सचिव